राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :– राजपत्रित/सामान्य/प–90/2014/548 दिनांक : 16-9-14

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांक वनिस/संशास/चिस्वा/ग्रुप–2/2014 जयपुर, दिनांक 03.09.14 के क्रम में।
2. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियत्रंक, मेडिकल कॉलेज/समबद्ध चिकित्सालय, राजस्थान/R.F.P.T.C. जयपुर, अजमेर/K.N.T.B.D.C. अजमेर
3. निदेशक, ई.एस.आई./भ्रमणशील शल्य चिकित्सा इकाई, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन–जयपुर/भरतपुर/कोटा/जोधपुर/उदयपुर/बीकानेर/अजमेर।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
6. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, क्षय निवारण केन्द्र, राजस्थान।
7. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
8. कार्यालय सहायक, ए.टी. सैल/डी.पी.सी. सैल/सीबी/संस्थापन, राजपत्रित अनुभाग, मुख्यालय।
9. संबंधित डीलिंग सीट, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
10. प्रभारी, प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त पत्र को **आज ही विभाग की वेबसाइट पर डलवाने** की व्यवस्था करावें।
11. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक : बनिस/संशास/चिस्वा/ग्रुप–2/2014 जयपुर, दिनांक : 03.09.2014

निदेशक (जन स्वास्थ्य),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राज. जयपुर।

विषयः– माननीय न्यायालयों के निर्णयों की पालना एवं अवमानना प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही करने बाबत।

महोदय,

प्रायः यह देखा गया है कि विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त होने वाले माननीय न्यायालयों के निर्णय एवं अवमानना प्रकरणों पर निदेशालय स्तर पर तत्समय कार्यवाही न कर, नियत तिथि से एक–दो दिन पूर्व माननीय न्यायालयों के निर्णय एवं अवमानना प्रकरणों में मा. न्यायालय के निर्देशों की पालना किये जाने के लिए पत्रावली राज्य सरकार को प्रेषित की जाती है, जिससे मा. न्यायालय के निर्णय की पालना किये जाने में विलम्ब की संभावना रहती है एवं समयाभाव के कारण प्रकरण का पूर्ण परीक्षण नही होने से विभाग की छवि भी धूमिल होती है।

अतः विभिन्न न्यायालयों से प्राप्त होने वाले माननीय न्यायालयों के निर्णय एवं अवमानना प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही करावें एवं विलम्ब की स्थिति में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी भी निर्धारित करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव भी प्रकरण के साथ ही भिजवायें।

भवदीय

(महावीर सिंह)
शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राज. जयपुर।
3. शासन सहायक सचिव/अनुभागाधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग।
4. समस्त प्रकरण लिपिक को प्रेषित कर लेख है कि निदेशालय से प्राप्त अवमानना प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पत्रावली उच्च स्तर पर प्रस्तुत करें, विलम्ब की स्थिति में संबंधित लिपिक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

शासन संयुक्त सचिव